न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 142/2017 **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. किशनगोपाल पुत्र टूण्डा जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. बजरंगा पुत्र मथुरा जाति मीणा
2. द्वारक्या पुत्र मथुरा जाति मीणा निवासीगण जिरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा

आदेश दिनाक : 18/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 65 की ख0नं0 260 की 0.19 है0, ख0नं0 350 की 0.07 है0, ख0नं0 351/729 की 0.04 है0 ख0नं0 352 की 0.29 है0, ख0नं0 406 की 1.49 है0 ख0नं0 600 की 0.74 है0, ख0नं0 620/776 की 0.10 है0 कुल 8 किता की 3.56 है0 आराजी स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 9/18 खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादीगण ने वर्ष 2016—2017 को वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन हकाई कर उसमे फसल बौ दी। वादी ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादीगण से जबरन कब्जा करने से मना किया तो लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। इसके पश्चात दिनांक 10.7.2017 को भी वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने का निवेदन किया तो उन लोगो ने कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया। और मारने पीटने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य को रोका जाना सम्भव नही है। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा बनाये

रखा तो वादी को अपने हिस्से की आराजी पर चले आ रहे अवैधानिक हक हकूकों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 10.07.2017 को अन्तिम बार वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने का निवेदन करने पर व उनके द्वारा कब्जा हटाने से मना कर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र ग्राम जिरोद तहसील अटरू में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के हिस्से 9/18 पर से प्रतिवादीण को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 के बयान लेखबद्ध कराये तथा रिकॉर्ड EXP करवाया गया ओर साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये, अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक वादी द्वारा वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार वादी का हिस्सा 9/18 पृथक से खाता दर्ज किया जावें। व इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम जिरोद की खाता संख्या 65 की किता 8 रकबा 3.56 है0 सहखातेदार के खाते दर्ज है। जिसमें वादी किशन गोपाल पुत्र टूण्डा का हिस्सा 9/18 रहन SBI अटरू दर्ज है। बयान PW_1 में वादी द्वारा कथन

किया गया कि मेरे 9/18 हिस्से पर बजरंगा, द्वारक्या पुत्र मथुरा मीणा, द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम जिरोद की खाता संख्या 65 कुल किता 8 कुल रकबा 3.56 है0 में हिस्सा 9/18 पर से प्रतिवादी बजरंगा, द्वारक्या पुत्र मथुरा को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पालना करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 142/2017

उनवान

2. किशनगोपाल पुत्र टूण्डा जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

3. बजरंगा पुत्र मथुरा जाति मीणा

4. द्वारक्या पुत्र मथुरा जाति मीणा निवासीगण जिरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम जिरोद की खाता संख्या 65 कुल किता 8 कुल रकबा 3.56 है0 में हिस्सा 9/18 पर से प्रतिवादी बजरंगा, द्वारक्या पुत्र मथुरा को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पालना करावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:46:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: